न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 24/2017
अनवान :–

श्री गोपालकृष्ण शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र किशोर पुत्र आत्म प्रकाश खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स रायल आईस फैक्ट्री, सब्जी मण्डी के सामने पूगल रोड़, बीकानेर(राज)

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि
2. अप्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 11.02.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री गोपालकृष्ण शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 03.04.2017 को अप्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश उर्फ चन्द्र किशोर पुत्र आत्म प्रकाश खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक मैसर्स रायल आई फैक्ट्री सब्जी मण्डी के सामने पूगल रोड़, बीकानेर के यहां निरीक्षण के दौरान एक फ्रीजर में करीब 10 किग्रा आईसक्रीम आम जनता को बेचने हेतु रखी थी। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त 1200 ग्राम आईसक्रीम वास्ते शुद्धता की जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत 80 रूपये देकर रसीद प्राप्त की जिस पर गवाहान एवं विक्रेता एवं कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर करवाये । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिस कारोबारकर्ता एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर एवं सही मानते हुये हस्ताक्षर किये फार्म नं. 5 ए की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। तदन्तर उक्त खरीदशुदा खाद्य पदार्थ आईसक्रीम 1200 ग्राम को चार पीस में कॉच की चार शीशीयों में बराबर–बराबर डाला प्रत्येक शीशी में 24–24 बूंद फॉरमनीन की डाली प्रत्येक नमूना शीशी पर लेबल लगाया जिस पर कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रत्येक नमूना शीशी का मूंह ढक्कन से बंद कर टेप लगाया एवं प्रत्येक नमूना शीशी को खाकी कागज से लपेटा एवं मुंह को गांद से चिपकाया एवं अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त पेपर स्लिप क्रमांक कोड जे– 1379 को प्रत्येक नमूना शीशी के नीचे से उपर चिपकाया व डोरे से बांध कर प्रत्येक सील बंध नमूना शीशी पर चार चार जगह चपड़ी से सील मोहर कर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

नियमानुसार नमूना लिया। पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये। मौके पर तैयार की गई फर्द को पढ़कर सुनाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा सील बंध नमूनों को प्रार्थी ने जाब्ते में लिया। तत्पश्चात् कार्यालय पहुंच कर प्रार्थी ने फॉर्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना सील कर भाग को मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 24.04.2017 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ आईसक्रीम सब–स्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थी की ओर से श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा **जवाब प्रस्तुत नहीं कर बहस में कथन करने हेतु पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।**

3. विभागीय प्रतिनिधि ने बहस में कथन किया कि इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS.752/Act/ 2017/819 दिनांक 24.04.2017 के अनुसार खाद्य पदार्थ आईसक्रीम **सबस्टेण्डर्ड** पाया गया, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां आईसक्रीम सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अप्रार्थी मैसर्स रायल आईस फेक्ट्री के नाम से छोटा सा व्यवसाय करता है, जिससे अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आईसक्रीम दूध से बनती है। दूध बाजार से खरीद कर स्वयं की देखरेख में आईसक्रीम का निर्माण कार्य करता है। अप्रार्थी पूर्ण शुद्वता एवं साफ सफाई को ध्यान में रखकर ही आईसक्रीम बनाता है। दूध गायो के खानपान एवं वहां की जलवायु के कारण ही उसमें फेट की मात्रा कम हो सकती है। अप्रार्थी द्वारा आईसक्रीम में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत परिवाद खारिज किया जावे अन्यथा प्रार्थी के विरूद्ध नरमी का रूख अपनाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण फरमावें।

अति॰ जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

5. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 03.04.2017 को प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी पक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण मावा 10 किलोग्राम आईसक्रीम मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट क्रमांक LS.752/Act/ 2017/819 दिनांक 24.04.2017 के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाये गये आईसक्रीम में Milk fat Not less than 10% की तलुना 5.65% तथा Total solid Not less than 36% की तुलना में 35.0% पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पाया गया आईसक्रीम सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का आईसक्रीम विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26(2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का आईसक्रीम विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26(2)(ii) का उल्लंधन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत रू. 40,000/– **अखरे चालीस हजार रूपये** की शास्ति आरोपित की जाती है।

6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय आज दिनांक 11.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति.जिला कलक्टर(प्रशा.) बीकानेर
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर